# लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उ.प्र.
## श्रोतृशाला सम्बन्धी नियम व शर्ते

1. लाईसेन्स शुल्क में वातानुकूलन, स्थल स्पॉट लाईट तथा स्टेज की लाईट एवं ध्वनि व्यवस्था आदि का सम्पूर्ण किराया सम्मिलित है।
2. निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञा–पत्र रद्द कर सकता है और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा जमा किया हुआ धन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा, अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के एवज में किसी नुकसान या मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं होगा।
3. संस्थान द्वारा किसी भी आवेदक के आवेदन की अस्वीकृति की दशा में पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार उसके द्वारा जमा की गई पूरी अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।
4. अनुज्ञप्तिधारी अपना अनुज्ञापत्र किसी अन्य को नहीं सौंप सकता और न ही श्रोतृशाला के पूरे क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्र के उपयोग का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौंप सकता है।
5. श्रोतृशाला का कब्जा, सत्र प्रारम्भ होने के निश्चित समय से पूर्व प्रबंधक (श्रोतृशाला) द्वारा उपयुक्त समय (जिसको प्रबंधक उचित समझे) पर दिया जायेगा तथा समारोह के (08 घण्टे) समाप्ति के बाद आधे घण्टे के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी से निदेशक/प्रबंधक द्वारा कब्जा ले लिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति घण्टा रू.5,000.00 + 18% जी.एस.टी. की दर सहित अतिरिक्त अवधि का किराया प्रार्थना पत्र सहित तत्काल बुकिंग कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल श्रोतृशाला की स्टेज के उपयोग का हकदार है, श्रोतृशाला भवन एवं उसके कमरे या अन्य क्षेत्र उसके उपयोग के निमित्त नहीं बल्कि वस्तुओं के रख–रखाव के लिये बने हैं।
7. अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला के भवन अथवा फर्नीचर पर नाखून लगाना या ऐसा ही कोई काम करना जिससे स्टेज या प्रसाधनशाला का सौन्दर्य नष्ट होता हो, सख्त मना है। वह श्रोतृशाला के फर्नीचर या अन्य वस्तुओं को उसके मूल स्थान से इधर–उधर नहीं करेगा।
8. उत्तम सुविधाये उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रोतृशाला स्टेज की ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों, ध्वनि का नियंत्रण, वातानुकूलन आदि से सुसज्जित है और इन सुविधाओं को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा लेकिन यदि किसी कारणवश कोई व्यवस्था व्यवधान होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति शुल्क में किसी प्रकार की कटौती मान्य नहीं होगी और न ही संस्थान अचानक उत्पन्न हुई रूकावट के

लिये अथवा किसी प्रकार की अन्य व्यवधान के लिये जिम्मेदार होगा, जो उसके प्रबंधक/नियंत्रण के वश में न हो।

9. श्रोतृशाला के बाहर स्थित फर्नीचर ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग श्रोतृशाला के अन्दर करना निदेशक/प्रबंधक की अनुमति पर उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला में उपलब्ध सीटों से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देकर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।
11. श्रोतृशाला परिसर में थूकना, धूम्रपान, पान मसाला व किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कार्य अथवा श्रोतृशाला को कोई भी स्थान, स्टेज/फर्नीचर आदि को गन्दा करना एवं किसी प्रकार की खाद्य पदार्थ हाल के अन्दर प्रयोग किया जाना सख्त मना है।
12. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में वक्तव्य किये जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम रद्द करते हुए श्रोतृशाला हाल खाली करवाये जाने के साथ ही अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को संस्तुति की जा सकती है।
13. श्रोतृशाला के प्रवेश स्थल पर अथवा उसके अन्दर तथा बाहर किसी प्रकार संगीत अथवा लाउडस्पीकर लगाना, धरना प्रदर्शन या नारेबाजी करना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
14. संस्थान की शासी निकाय के सदस्यों, प्रबंधक तथा श्रोतृशाला स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी का कब्जा होने के दौरान श्रोतृशाला के किसी भी भाग में किसी भी समय आवागमन कर सकता है।
15. श्रोतृशाला में किसी भी कतार की 10 सीटें बिना किसी प्रभार के संस्थान के निदेशक अथवा उनके निर्देशानुसार उपयोग की जायेगी।
16. उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन की दशा में जमानत धनराशि वापसी नहीं होगी।
17. जिला प्रशासन द्वारा दिये गये अनुमति के क्रम संख्या 01 से 19 तक के सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध विभाग द्वारा जिला प्रशासन को कार्यवाही किये जाने की संस्तुति हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
18. पार्किंग के अतिरिक्त कामर्शियल/अन्य स्टाल उपयोग की स्थिति में रू.10,000 + 18% जी.एस.टी. सहित देय होगी।
19. कार्यक्रम से पूर्व श्रोतृशाला के बाथरूमों में लगी टोटियॉ तथा अन्य सामग्री का अवलोकन आयोजक पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जायेगा तथा

# लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उ.प्र.

## श्रोतृशाला सम्बन्धी नियम व शर्तें

कार्यक्रम के समापन के पश्चात् सम्बन्धित स्थलों/सामग्रियों का निरीक्षण श्रोतृशाला कर्मी द्वारा किया जायेगा कि सभी सामग्रियॉ यथावत् हैं अथवा नहीं, तत्पश्चात् श्रोतृशाला कर्मी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र देने के पश्चात् ही जमानत राशि अवमुक्त की जायेगी।

**उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगाः—**

- श्रोतृशाला में लगे सूचना बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।
- दीवार तथा दरवाजे पर कीलें ठोकना प्रतिबन्धित होगा।
- फर्श पर रंगोली बनाना प्रतिबन्धित होगा।
- श्रोतृशाला के अन्तर्गत कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु साउण्ड व लाईट की व्यवस्था पूर्ण है। बाहर से साउण्ड व लाईट की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त लाईट व साउण्ड की व्यवस्था प्रबंधक की लिखित अनुमति के बाद ही की जा सकेगी।
- श्रोतृशाला में कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक गतविधियॉ की जाती हैं तो संस्थान प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पेनाल्टी लगायी जा सकती है और भविष्य के लिये काली सूचीबद्ध किया जायेगा।

**मैने उपर्युक्त नियमों को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं एतद्द्वारा इन नियमों को स्वीकार करता हूॅं व अनुपालन के लिये सहमत हूॅं।**

- नाम/पदनाम मुहर सहितः—
- पताः—
- दूरभाष संख्याः—